भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2369

03 अगस्त, 2021 को उत्तर देने के लिए

कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण

2369. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक अम्ब्रेला स्कीम – प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है । पीएमकेएसवाई की घटक योजनाएं निम्न हैं:- (i) मेगा फूड पार्क, (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना, (iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार, (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, (v) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन, (vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान (viii) ऑपरेशन ग्रीन्स ।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत एमओएफपीआई उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में अधिकतर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है । पीएमकेएसवाई किसी क्षेत्र अथवा राज्य विशिष्ट नहीं है परंतु मांग आधारित है और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में कार्यान्वित की जाती है। मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई की अनुरूपी घटक योजनाओं के तहत कर्नाटक में अभी तक 2 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं, 16 शीत श्रृंखला परियोजनाएं, 4 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, 19 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें, 3 बैकवर्ड एंड फारवर्ड लिंकेज परियोजनाओं का सृजन और 9 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला परियोजनाओं को अनुमोदित किया है ।

आत्मनिर्भर भारत पहल के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएम एफएमई)" को कार्यान्वित कर रहा है । इसमें से पांच वर्ष के लिए 562.43 करोड़ रुपए के अनंतिम परिव्यय के साथ कर्नाटक को कुल 11,910 यूनिटें आवंटित की गईं हैं ।

*****